न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र सं.– 18/2025
जीसीएमएस सं. 2025/319
प्रार्थीगणः–

1. विजयकिशन पुत्र नैनाराम
2. सूरज पुत्र विजयकिशन
3. विरेन्द्र पुत्र विजयकिशन जातियान जाट निवासीगण ग्राम खेजडली कला, चौधरियों का बास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. नैनाराम पुत्र स्व. कालूराम जाति जाट निवासी हाल मुकाम महादेव नगर, बनाड केंट रेलवे के सामने, किसान गैस गोदाम के पास, बनाड, जोधपुर ग्राम खेजडली कला, चौधरियों का बास, तहसील लूणी; जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत, खेजडली कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) द्वारा निगरानी प्रकरण सं. 311/2023 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2024 को अपास्त कर निगरानी को रेस्टोर किया जाकर पुनः मूल नंबर पर लिये जाने बाबत।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री आर.के. रावल (प्रार्थीगण की ओर से)
2. अप्रार्थी 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

<u>आदेश</u> **दिनांक 21.01.2026**

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र, न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) द्वारा निगरानी सं. 311/2023 (2023/968) (विजयकिशन बनाम नेनाराम वगैरा) में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 को निरस्त करने हेतु तथा मूल निगरानी को सुनवाई हेतु पुनः ग्रहण कर व नंबर पर लेने हेतु न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) में दिनांक 15.07.2024 को प्रार्थी विजयकिशन द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेजडली कला, पं.स. लूणी, जोधपुर द्वारा मिसल सं. 37 दिनांक 20.04.2017 में जारी आवासीय पट्टा सं. 29 दिनांक 24.06.2017 बनाप 151.44 वर्गगज को निरस्त करने हेतु पेश की गई थी।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. उक्त विवरण की खारिज की गई निगरानी को रेस्टोर करने हेतु प्रार्थी विजयकिशन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 08.08.2024 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी 1 नेनाराम पर रजिस्टर्ड ए.डी. पोस्ट से भेजा गया नोटिस दिनांक 11.09.2025 को नेनाराम को डिलीवर हो गया, जिसकी ट्रेक रिपोर्ट संलग्न पत्रावली पर मौजूद है। जिसे पर्याप्त तामिल माना जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी 1 पर नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी 1 की ओर से किसी ने भी उपस्थिति नहीं दी है। अतः अप्रार्थी 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. रावल ने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानी की सुनवाई हेतु नियत तारीख 10.07.2024 को, प्रार्थी वकील के परिवार में मामाजी का अचानक देहांत होने के कारण, वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। दिनांक 12.07.2024 को ज्ञात हुआ कि वकील की अनुपस्थिति के कारण निगरानी खारिज हो चुकी है तथा दिनांक 15.07.2024 को ही बिना देरी के यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अनुपस्थित रहने का कारण माकूल है एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे तथा खारिज निगरानी को पुनः नंबर पर लेकर, मेरिट पर सुना जावे।

समय पर अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस पेश नहीं करने का मुख्य कारण, विचाराधीन निगरानी, न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर ग्रामीण व अति. जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर के बीच हस्तांतरित होती रही।

4. हमने प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों एवं आदेश दिनांक 10.07.2024 का अवलोकन किया। विचाराधीन प्रार्थना पत्र में विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 10.07.2024 को अपने मामाजी के अचानक देहांत होने के कारण, माताजी को लेकर ननिहाल ग्राम दयालपुरा, तहसील जैतारण, पाली जाना बताया है। जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहे है तथा न्यायालय के आदेशों की समय–समय पर पालना की गई है। पत्रावली का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालयों के बीच स्थानांतरित होने के कारण समन पेश करने में देरी हुई है। आगे से निरंतर प्रकरण की पैरवी करने का कथन किया है। यह प्रार्थना पत्र तुरंत पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में हल्फनामा भी पेश किया है। प्रार्थी के उक्त कथनों का, अप्रार्थीगण द्वारा खण्डन नहीं किया है। दिनांक 10.07.2024 को खारिज प्रकरण रेस्टोर करने हेतु दिनांक 15.07.2024 को ही यह प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सजगता से प्रकरण की पैरवी की है तथा मामाजी का देहांत होने का कारण समुचित एवं पर्याप्त

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

होना पाया जाता है तथा सुनवाई की तिथि को अनुपस्थित रहने का कारण सद्‌भावी प्रतीत होने से, यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) द्वारा निगरानी प्रकरण सं. 311/2023 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 को अपास्त किया जाता है तथा मूल निगरानी को पुनः नंवर पर लेने के आदेश दिये जाते है। मूल पत्रावली वास्ते पेश होने नोटिस दिनांक 25.02.2026 को पेश हो।

उक्तानुसार इस प्रार्थना पत्र को निस्तारण किया जाता है।

(जवाहर चौधरी)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर